संख्याः 286/ई–1/तेरह–2021–18/17 (टी.सी.)

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2021**

विषयः–उप आबकारी निरीक्षक/प्रधान आबकारी सिपाही/आबकारी सिपाही के कार्य व दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8490/ग्यारह–ई.आई.बी./कार्यवृत्त विवरण/2020–21, दिनॉक 30–01–2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उप आबकारी निरीक्षक/प्रधान आबकारी सिपाही/आबकारी सिपाही के कार्य व दायित्व निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। विभाग द्वारा मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन, पर्यवेक्षण तथा मादक वस्तुओं की तस्करी पर नियंत्रण कर मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत उक्त पत्र दिनॉक 30–01–2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उप आबकारी निरीक्षक/प्रधान आबकारी सिपाही/आबकारी सिपाही के कार्य व दायित्व निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

उप आबकारी निरीक्षक के प्रमुख कार्य

(i) दैनिक डायरी तैयार करना, जिसमें टैंकों में संचित शीरा का प्रारम्भिक स्टॉक, डिप, तापमान, उत्पादन, सम्भरण व अन्तिम स्टॉक, शीरे की ब्रिक्स व शर्करा का प्रतिशत अभिलेखानुसार व वास्तविक रूप में उल्लिखित होगा। पेराई के समय प्रतिदिन पेरे जाने वाले गन्ने की मात्रा तथा चलित योग की भी प्रविष्टि करेंगें, जिसकी प्रति उप आबकारी आयुक्त व जिला आबकारी अधिकारी को माह की पहली व सोलहवीं तारीख को उपलब्ध कराएंगें।

(ii) शीरे से सम्बन्धित न्यायालय एवं विभाग में लम्बित प्रकरणों का उल्लेख एम.एफ.–12 पंजिका में करना तथा उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय उनके संज्ञान में लाना एवं नियमित रूप से लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी करना।

(iii) निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में पाई गई कमियों को एम.एफ.–12 में अंकित कर कमियों को दूर करना तथा आवश्यकतानुसार जिला आबकारी अधिकारी/उप आबकारी आयुक्त के संज्ञान में लाते हुए उनके माध्यम से कमियों का निवारण कराना।

(iv) चीनी मिलों में शीरा संचय क्षमता अपूर्ण होने की स्थिति में शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को सूचित करना एवं जिला आबकारी अधिकारी व उप आबकारी आयुक्त के माध्यम से चीनी मिल के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कराना।

(v) शीरे की निकासी पर नियमानुसार प्रशासनिक शुल्क एवं शीरा निधि में धनराशि जमा कराना तथा इन मदों में किसी प्रकार का बकाया होने पर इसे जिला आबकारी अधिकारी व उप आबकारी आयुक्त के संज्ञान में लाना जिससे कि बकाया वसूल की जा सके। बकाये की सूचना उप आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश को दी जाएगी।

(vi) शीरा निधि की पंजिका अनुरक्षित करना जिसमें शीरा निधि का प्रारम्भिक अवशेष, प्रतिदिन की निकासी पर देय शीरा निधि की धनराशि, अग्रिम जमा धनराशि, शीरा निधि से आहरण व अवशेष धनराशि का उल्लेख किया जाएगा। शीरा निधि में जमा धनराशि का सम्बन्धित बैंक से सत्यापन कराना एवं शीरा निधि के सम्बन्ध में मासिक सूचना शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश जिला आबकारी अधिकारी व उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध करना।

(vii) प्रशासनिक शुल्क की पंजिका अनुरक्षित करना जिसमें प्रारम्भिक अवशेष, प्रतिदिन की निकासी पर देय प्रशासनिक शुल्क, अग्रिम जमा की गयी धनराशि व अवशेष धनराशि का उल्लेख किया जायेगा। जमा प्रशासनिक शुल्क का सत्यापन प्रतिमाह कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में अनुरक्षित की जा रही जी–6 पंजिका से कराना।

(viii) सत्यापनोपरान्त 07 दिवसों में एम.एफ.–4 गेट पास की वापसी सुनिश्चित कराना। सत्यापित होकर न आने वाले एम.एफ. गेट पासों की मासिक सूचना जिला आबकारी अधिकारी/उप आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराना एवं तत्सम्बन्ध में की गयी अग्रेतर कार्यवाही से अवगत कराना।

(ix) वापस प्राप्त एम.एफ.–4 गेट पास पर शीरे के ग्रेड, गुणवत्ता व मात्रा के सम्बन्ध में किसीं प्रकार का विरोधाभास संज्ञान में आने पर इसकी सूचना जिला आबकारी अधिकारी/उप आबकारी आयुक्त को देते हुए अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराना तथा प्रकरण का अनुश्रवण करना ।

(x) चीनी मिल से अंनारक्षित शीरा बोनाफाइड केता को ही बेचने का शपथ पत्र अध्यासी से प्राप्त करना।

(xi) शीरे में आटो कम्बश्चन रोकने के लिए समय–समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना। आटो कम्बश्चन होने पर इसके लिए उप आबकारी निरीक्षक भी उत्तरदायी माने जायेंगें।

(xii) चीनी मिल में पेरे गए गन्ने के अनुपात में शीरे का उत्पादन विगत चार वर्षों के औसत उत्पादन से कम होने पर इस सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना। जिला आबकारी अधिकारी, उप आबकारी निरीक्षक की उपस्थिति में चीनी मिल का निरीक्षण करके अध्यासी का स्पष्टीकरण लेते हुए सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक को सूचित करेंगें तथा नमूना क्षेत्रीय प्रयोगशाला भिजवाएंगें। बिना मान्य प्राविधिक कारण के रिकवरी अनुपातिक रूप से कम होने पर इसे अध्यासी के साथ–साथ उप निरीक्षक के विरूद्ध भी गम्भीरता से लिया जायेगा।

(xiii) शीरा आवंटियों से जिला आबकारी अधिकारी/उप आबकारी आयुक्त के माध्यम से पत्राचार करके शीरा उठवाना सुनिश्चित करना। आवंटनादेश प्राप्त होने पर आवंटियों को शीरा सम्भारित कराना एवं सम्भरण में उत्पन्न व्यवधानों को दूर कराना उप आबकारी निरीक्षक का दायित्व होगा। सम्भरण प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक कराया जायेगा। नियमानुसार शीरे का समयान्तर्गत सम्भरण न होना उप निरीक्षक का कर्तव्यों के प्रति उदासीनता माना जायेगा।

(xiv) पेरे गये गन्ने व वास्तविक सत्यापन के आधार पर शीरे के उत्पादन का आकलन करना व उत्पादित शीरे की गुणवत्ता को बनाए रखना उप निरीक्षक का दायित्व होगा।

(xv) एम.एफ.–1 व एम.एफ.–2 में की जा रही प्रविष्टि का सत्यापन करना। अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उप आबकारी निरीक्षक उत्तरदायी होगें।

(xvi) शीरे के टैंकरों में भार वाहक क्षमता के अन्तर्गत शीरे का सम्भरण सुनिश्चित कराना।

(xvii) आनलाइन शीरा पोर्टल पर टैंकवार संचय क्षमता, शीरे का उत्पादन/वितरण इत्यादि की सही–सही प्रविष्टि कराना। आनलाइन शीरा पोर्टल पर प्रदर्शित किसी भी प्रकार की त्रुटि को अपने उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाकर उसे सही कराना।

(xviii) उच्चाधिकारियों द्वारा चीनी मिलों के निरीक्षण में यदि शीरे के स्टाक में कोई अन्तर पाया जाता है कि तो उसका दायित्व उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिल का होगा।

(xix) परिवहन में प्रयुक्त होने वाले शीरा टैंकरों के दुर्घटना ग्रस्त होने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर उप आबकारी निरीक्षक इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देगा तथा सम्बन्धित एफ.एफ.–4 गेट पास ससमय वापस प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।

(xx) चीनी मिलों में संचित शीरे के बिलोग्रेड होने अथवा जल कर नष्ट होने सम्बन्धी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देते हुये अग्रेतर कार्यवाही करेगा।

प्रधान आबकारी सिपाही के प्रमुख कार्य

(i) आवंटित बीट/क्षेत्र में अवैध आबकारी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखना।

(ii) अवैध मद्य निष्कर्षण एवं नारकोटिक्स की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों तथा संदिग्ध ग्रामों के बारे में सूचना संग्रह करना तथा आबकारी निरीक्षक को अवगत कराना।

(iii) सम्भावित तस्करी के राजमार्गो–जहॉ से सीमावर्ती प्रदेशों से मदिरा/अल्कोहल/शीरा/नारकोटिक्स की तस्करी की अधिक सम्भावना हो, की निगरानी एवं सूचना संग्रह करना।

(iv) प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र के सिपाही/सिपाहियों के साथ गश्त करने, मुखबिरी करने, अवैध मदिरा, अवैध शीरा एवं नारकोटिक्स पदार्थो की बिक्री/परिवहन पर रोक लगाने के लिए तथा ओवर रेटिंग की सूचना आबकारी निरीक्षक को देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) आबकारी निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पकड़े गये अभियोगों को अभियोग पंजिका में दर्ज करना।

(vi) अपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित नियमानुसार निर्धारित एवं यथा निर्देशित अभिलेखों का रख–रखाव करना।

(vii) यायालयों में लम्बित वादों की समीक्षा करते हुये आबकारी निरीक्षक को अवगत कराना एवं न्यायालय में पैरवी सुनिश्चित करना। पैरवी का दायित्व भी प्रधान आबकारी सिपाही का ही होगा।

(viii) संदिग्ध ग्रामों के ग्राम प्रधान/चौकीदार/लेखपाल/पंचायत सचिव से सम्पर्क बनाये रखना एवं उनसे अभिसूचना/सूचना एकत्रित करना।

(ix) आबकारी निरीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अनुज्ञापन की प्रति प्राप्त कर सम्बन्धित दुकान की चौहद्दी का मिलान करना एवं तद्नुसार आबकारी निरीक्षक को अवगत कराना।

(x) प्रधान आबकारी सिपाही आवंटित बीट/क्षेत्र के सम्पूर्ण कियाकलापों के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगें।

(xi) बीट/क्षेत्र में स्थित दुकानों के बाहर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, परिवहन, संचय इत्यादि के लिए प्रधान आबकारी सिपाही उत्तरदायी होगें। ऐसी गतिविधियों की जानकारी होने पर इसकी तत्काल सूचना आबकारी निरीक्षक को उपलब्ध कराना होगा।

(xii) आबकारी अपराधियों की गतिविधियों पर सर्तक दृष्टि रखना।

(xiii) आवंटित रिटेनर लाइसेन्स युक्त शस्त्र के साथ दबिश कार्य में सक्रिय सहयोग करना।

(xiv) आबकारी निरीक्षक सहित अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गए अन्य शासकीय कार्यों का सम्पादन करना।

आबकारी सिपाही के प्रमुख कार्य

(i) आवंटित बीट/क्षेत्र में अवैध आबकारी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखना।

(ii) बीट/क्षेत्र में होने वाले अवैध मदिरा, अवैध शीरा अथवा नारकोटिक्स की बिक्री/परिवहन की अभिसूचना संग्रहित कर आबकारी निरीक्षक को देना। यदि किसी अन्य एजेन्सी द्वारा इनके क्षेत्र में अवैध मदिरा/अवैध शीरा/नारकोटिक्स का प्रकरण पकड़ा जाता है तो इसके लिए ये उत्तरदायी होंगे।

(iii) अवैध मद्य निष्कर्षण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों तथा संदिग्ध ग्रामों के बारे में सूचना संग्रह करना तथा आबकारी निरीक्षक को अवगत कराना।

(iv) सम्भावित तस्करी के राजमार्गो जहां से सीमावर्ती प्रदेशों से मदिरा/अल्कोहल/शीरा/नारकोटिक्स की तस्करी की अधिक सम्भावना हो, ऐसे मार्गो की निगरानी एवं सूचना संग्रह।

(v) संदिग्ध ढाबों/अड्डों पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखना।

(vi) बीट/क्षेत्र में किसी दूकान पर ओवर रेटिंग की सूचना प्राप्त होने पर गोपनीय रूप से इसका सत्यापन कर तत्काल आबकारी निरीक्षक को सूचना उपलब्ध कराना।

(vii) संदिग्ध ग्रामों के ग्राम प्रधान/चौकीदार/लेखपाल/पंचायत सचिव से सम्पर्क बनाये रखना एवं उनसे अभिसूचना/सूचना एकत्रित करना।

(viii) आबकारी निरीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अनुज्ञापन की प्रति प्राप्त कर सम्बन्धित दुकान की चौहद्दी का मिलान करना एवं तद्नुसार आबकारी निरीक्षक को अवगत कराना।

(ix) दबिश के दौरान पकड़े गये अभियुक्त व बरामद माल को अभिरक्षा में रखना और अभियुक्त के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने एवं अपहृत मादक पदार्थ को मालखाने में अनुरक्षित रखने तक की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(x) उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का तत्परता एवं अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित करना।

(xi) आवंटित रिटेनर लाइसेंस युक्त शस्त्र के साथ दबिश कार्य में सक्रिय योगदान प्रदान करना।

(xii) आसवनी में तैनात आबकारी सिपाही आसवनी के आवागमन मार्ग पर सतत् निगरानी करते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दशा में अवैध रूप से स्प्रिट/मदिरा/अल्कोहल की निकासी न हो। उक्त के अतिरिक्त आसवनी परिसर में आने–जाने वाले कर्मचारियों विशेषकर वर्करों पर सर्तक दृष्टि रखना, जिससे कि कर्मचारियों/वर्करों द्वारा चोरी न की जा सके।

(xiii) आबकारी सिपाही आवंटित बीट/क्षेत्र के सम्पूर्ण कियाकलापों के पूर्ण उत्तरदायी होगें।

(xiv) बीट/क्षेत्र में स्थित दुकानों के बाहर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, परिवहन, संचय इत्यादि के लिए आबकारी सिपाही उत्तरदायी होगें। ऐसी किसी गतिविधियों की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल आबकारी निरीक्षक को देना।

(xv) आबकारी अपराधियों की गतिविधियों पर सर्तक दृष्टि रखना ।

अतः कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 286 (1)ई–1/तेरह–2021, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उत्तर प्रदेश। (द्वारा आबकारी आयुक्त)
3. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश। (द्वारा आबकारी आयुक्त)
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा आबकारी आयुक्त)
5. सहायक आबकारी आयुक्त, आसवनी/यवासवनी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा आबकारी आयुक्त)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव